न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः-- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 104/2020 दायर दिनाँक 09.09.2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मो0 अयुब पुत्र मो0 शफी जाति व्यापारी निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला--नागौर राजस्थान, वगैरा।

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू--अभिलेख नियम 1957 के नियम-- 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

--:: निर्णय ::--

दिनाँक 18.09.2020

प्रार्थी मो0 अयुब पुत्र शफी मो0 जाति व्यापारी निवासी रामसाबास ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप्त में तथ्या इस प्रकार है कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2)राज--6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के सन्दर्भ में अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2018 /राजस्व/1155 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा ग्राम रामसाबास पटवार मण्डल बालिया के संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शें अंकन किये जाने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03.07.2018 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया तथाप्रकरण की पत्रावली दिनांक 13.07.2018 को नियत की गई तथा दिनांक 13.07.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम रामसाबास के संलग्न नक्शें के अनुसार संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अंकन स्वीकृत किया। उक्त आदेश पूर्णतया एक पक्षीय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से व गैर सायलान को बिना किसी सूचना के एक पक्षीय पारित किया है जिसे अपास्त किये जाने हेतु यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार कभी भी कोई चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा। अप्रार्थी का सम्पूर्ण खेत एक चक में सदैव रहा है। अप्रार्थी के खेत में काल्पनिक रूप से अन्य खेतों की ओर रास्ता दर्शाते हुए गलत सूची बनाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता अथवा रास्ते के अलामात नहीं रहे है। प्रार्थी के खेत खसरा सं0 115 व अन्य खेतों खसरा सं0 118, 119, 686/119, 103, 126, 127, 99 व 28 में से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा।

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथाकथित सूची व नजरी नक्शा मनमर्जी मुताबिक प्रस्तुत किया है, अप्रार्थी के खेत सहित अन्य सभी खेतों में से होकर कभी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा तथा प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 03.07.2018 को नोटिस दिये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला और ना हि नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्रकरण की पत्रावली को दिनांक 13.07.2018 को दाखिल दफ्तर करते हुए अप्रार्थी के खेत के बीच में से कटाणी रास्ता का आदेश पारित कर दिया। जबकि मौके पर कभी कोई सार्वजनिक रास्ता अथवा चालू रास्ता नहीं रहा, इस प्रकार उक्त परिपत्र की पालना में मौके पर कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना का प्रार्थना पत्र किसी भी सुरत में पोषणीय नहीं है।

सहायक कलक्टर
(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मौके की वास्तविक स्थिति को न्यायालय श्रीमान रेकर्ड पर लेने हेतु पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 13.07.2018 को अपास्त करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल की जावें तथा तहसीलदार डीडवाना का आवेदन उक्त परिपत्र के अन्तर्गत पोषनीय नहीं होने से निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार डीडवाना से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामसाबास के खसरा सं0 99, 128, 127, 126, 103, 686/119, 118 व 115 का मौका देखा गया जिसमें राजस्व रेकर्ड में इन खसरों में गै0मु0 खातेदारी रास्ता दर्ज है जो कि मौके पर वर्तमान में चालू नहीं है।

उक्त रिपोर्ट के पश्चात श्री केशव ओझा अधिवक्ता से मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित जायगा ग्राम रामसाबास में खसरा सं0 99, 128, 127, 126, 103, 686/119, 118 व 115 में स्थित है जिसमें से खसरा नं0 115 अडाव के रूप में पडा है जिसमें बडी-बडी घास उग रखी है तथा खसरा सं0 99, 128, 127, 103, 686/119 सभी खेतों में खातेदार कास्त द्वारा मुग, ग्वार, बाजरा व अन्य फसल बोई हुई है जो देखने से काफी बडी दिखाई दे रही है तथा उक्त खेतों के बीच में से मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा कोई रास्ते के अलामात भी नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दोनों मौका रिपोर्ट में कहीं भी रास्ते के अलामात नहीं है तथा उक्त खेतों में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 उनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अयुब खां निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामसाबास के खसरा सं0 99, 128, 127, 126, 103, 686/119, 118 व 115 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी कोई रास्ते के अलामात नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 उनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अयुब खां निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 उनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अयुब खां निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम रामसाबास के खसरा सं0 99, 128, 127, 126, 103, 686/119, 118 व 115 के निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 104 / 2020 दायर दिनाँक 09.09.2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मो0 अयुब पुत्र मो0 शफी जाति व्यापारी निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला—नागौर राजस्थान, वगैरा।

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम— 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

—:: संशोधित निर्णय ::—

दिनाँक 21.09.2020

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के खेत खसरा सं0 115 व अन्य खेतों में रास्ता कथित करते हुए न्यायालय श्रीमान के समक्ष आवेदन हस्तगत प्रस्तुत कियाथा जिसमें अप्रार्थीगण को दिनांक 03.07.2018 को नोटिस दिये जाने व पत्रावली आगामी दिनांक 13.07.2018 को नियत की गई थी परन्तु अप्रार्थी पक्ष को कोई नोटिस प्राप्त नहं हुआ ना ही तामील अथवा अदम तामील नोटिस पत्रावली पर है। इस प्रकार उसी दिवस एक तरफा निर्णय पारित किया है। न्यायालय श्रीमाना द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2018 को अपास्त कर दिया जिसके निर्णय की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि निर्णय में "आदेशिका दिनांक 03. 07.2018 को अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी किये जाने के ओदश के साथ पत्रावली दिनांक 13.07.2018 को नियत की गई परन्तु अप्रार्थी पक्ष को विना नोटिस सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 13.07.2018 को आदेश पारित कर दिया। पत्रावली पर नोटिस तामील अथवा अदम तामील नहीं है।" उक्त तथ्य निर्णय में अंकित होने से रह गए।

अतः दर0 पेश कर निवेदन है कि आदेश में उक्त तथ्य अंकित करने की कृपा करावें।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के खेत खसरा सं0 115 व अन्य खेतों में रास्ता कथित करते हुए न्यायालय श्रीमान के समक्ष आवेदन हस्तगत प्रस्तुत कियाथा जिसमें अप्रार्थीगण को दिनांक 03.07.2018 को नोटिस दिये जाने व पत्रावली आगामी दिनांक 13.07.2018 को नियत की गई थी परन्तु अप्रार्थी पक्ष को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ ना ही तामील अथवा अदम तामील नोटिस पत्रावली पर है। इस प्रकार उसी दिवस एक तरफा निर्णय पारित किया है। पत्रावली में भी किसी प्रकार का नोटिस/सम्मन नहीं मिला। साथ ही तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09.2020 एवं श्री केशव औझा, मौका कमिश्नर (अधिवक्ता) की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 से भी स्पष्ट है कि ग्राम रामसाबास के खसरा सं0 99, 128, 127, 126, 103, 686/119, 118 व 115 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी कोई रास्ते के अलामात नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 उनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अयुब खां निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 उनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अयुब खां निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त किया जाता है ग्राम रामसाबास के खसरा सं0 99, 128, 127, 126 103, 686/119, 118 व 115 के निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 21.09.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner